न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:-श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:-66 / 2016

वादी:- भाकरराम पुत्र श्री तेजाराम, जाति विश्नोई निवासी वीरतेजानगर (बाना का बास) तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. बगताराम पुत्र श्री हरजीराम जाति विश्नोई निवासी वीरतेजानगर (बाना का बास) तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
2. श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री चन्दनसिंह।
प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–::निर्णय::–

दिनांक:–5/2/2020

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:– वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 368 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी व खसरा नम्बर 369रकबा 80 बीघा मौजा ग्राम वीरतेजानगर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में वादी 1/2 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि के उत्तरी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 369/2 रकबा 69 बीघा आई हुई है तथा वादग्रस्त भूमि के दक्षिणी तरफ वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 369/1 रकबा 80 बीघा आई हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि व उक्त भूमि एक ही चक में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि का मौके पर वाद पत्र के साथ

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

संलग्न नजरी नक्शे अनुसार भौतिक रूप से विभाजन कर रखा है तथा मौके पर लगातार शान्तिपूर्वक बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा व काश्त चले आ रहे है। लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया हुआ नहीं है। इसलिए वादी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी खातेदारी भूमि का विकास कार्य करने में तरह–तरह की अड़चने पैदा हो रही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने हेतु कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 वादी को तरह–तरह के बहाने बताता रहा जिसे वादी हकीकत समझता रहा। अभी हाल ही में दिनांक 10.06.2016 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा वादी को मौके से बदखली की एलानिया धमकी दी, जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में बेखूबी प्रमाणित है सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। अपूर्णीय क्षति भी निश्चित तौर से वादी को हो रही है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 368 रकबा 10 बिस्वा ढाणी व खसरा नम्बर 369 रकबा 80 बीघा मौजा वीरतेजानगर तहसील ओसियां में वादी का 1/2 हिस्सा वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किया जाकर अलग किया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह ने वकालात नामा पेश किया।

यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राजीनामा तस्दीक करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें मुख्य रूप से यह शर्त रखी गई कि वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने हेतु दोनों पक्ष सहमत है तथा राजीनामे पर वादी व प्रतिवादी

Scanned with CamScanner

संख्या 1 द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर कर वादपत्र को स्वीकार किया जिसकी पहचान अपने–अपने अधिवक्ता द्वारा की गई।

राजीनामा तस्दीक किया गया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व नजरी नक्शे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी का वाद अपने नजरी नक्शे अनुसार 1/2 हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने हेतु प्रस्तुत किया है जो राजीनामे अनुसार स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 368 रकबा 10 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 369 रकबा 80 बीघा मौजा ग्राम वीरतेजानगर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के बाबत् वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किया जाकर वादी का 1/2 हिस्सा अलग किया जावें इसी आशय की अंतिम डिक्री जारी की जाती है। वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे व राजीनामा को अंतिम डिक्री का भाग माना जावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार नक्शा ट्रेस में अलग से तरमीम की जावें। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 4/8/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री

डिक्री व मुकदमे इजराय

(ऑर्डर 21, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारी श्री [illegible] रेगर आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भाकरराम		भगताराम वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट व 131 एल.आर. एक्ट

वाद संख्या– 66/2016

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् खसरा नम्बर 368 रकबा 10 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 369 रकबा 80 बीघा मौजा ग्राम वीरतेजानगर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के बाबत् वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किया जाकर वादी का 1/2 हिस्सा अलग किया जावें इसी आशय की अंतिम डिक्री जारी की जाती है। वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे व राजीनामा को अंतिम डिक्री का भाग माना जावें। वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार नक्शा ट्रेस में अलग से तरमीम की जावे। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो।

निज........—........ मुबलिग........—........ बाबत्........—........ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर........—........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक........—........ को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 4/8/2017 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर, ओसियां

मोहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मतफरकत		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner